संख्या-43/2021/1938754/12-5002(002)/5/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक

उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,

लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 16 दिसम्बर, 2021**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजना हेतु पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-कृ०र०-1074/लेखा/पौध संर०/2021-22, दिनांक 15.11.2021 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजना के मानक मद 49-चिकित्सा व्यय में रू० 25.00 लाख (रू० पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

3- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

4- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा न ही देयता सृजित की जायेगी।

5- जिस मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

6- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों/गाईडलाइन/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

8- प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी इसका उत्तरदायित्व आपका होगा।

9- उक्त स्वीकृत की जा रही धनरशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजना के मानक मद 49-चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

राजेन्द्र सिंह

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-43(1)/2021/1938754(1)/12-5002(002)/5/2021 , तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1982702/2021/ -5
1979568/2021/ (-)-1

प्रपत्र-बी(एम0-09 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
[संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158]
[इस प्रपत्र को भरने में पूर्व पीछे एवं अनुदेशों को भली-भाँति देख लिया जाए]

अनुदान संख्या व नाम-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)
प्रपत्र बी(एम0-09

वित्तीय वर्ष 2021-22

(धनराशि रुपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा-शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2401 00 107 0300 2401-फसल कृषि कार्य 107-बागवानी संरक्षण 03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा					
01-वेतन	10427.67	148.26	148.26	25.00	10402.67
कुल योग	10427.67	148.26	148.26	25.00	10402.67

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (5+11)
7	8	9	10	11	12
2401 00 107 0300 2401-फसल कृषि कार्य 107-बागवानी संरक्षण 03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा					
49-विविध व्यय	35.00	175.00	140.00	25.00	60.00
52-पुनरीक्षित पेंशन का अंशदेय	0.00	3.21	3.21	0.00	0.00
56-मनरेगा प्रतिकर भत्ता	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00
कुल योग	35.00	188.26	148.26	25.00	60.00

(रु० पचीस लाख मात्र)

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है:-
अ- वास्तविक मांग के आधार पर बचत है।

2 स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में प्रस्तावित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-
ब- 49-विविध व्यय मद में वास्तविक मांग अधिक होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु आवश्यकता के सम्बन्ध धनराशि उपलब्ध होने के संबंध में प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश वित्त मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: मा0ए0ए0-166 -5-1-दस-2021, दिनांक: 7-12-2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(अमित चन्दा)
अपर सचिव
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

(पुनीत चन्द्र माथुर)
अपर सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1979568/2021/ (-)-1

संख्या-1938754/12-5002(002)/5/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अमर चन्द्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।